..य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

..। मु. 13/2016

1 श्रीमती गीता कंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

2 रामूसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

3 हेमन्तसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 स्व. नोपसिंह वल्द हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

1/1 श्रीमती मोहनी कंवर धर्मपत्नी स्व. नोपसिंह जाति राजपूत निवासीनी ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

1/2 मांगूसिंह पुत्र स्व. नोपसिंह जाति राजपूत निवासीनी ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू :

1/3 विनोद कंवर पुत्री स्व. नोपसिंह जाति राजपूत निवासीनी ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

2 उदेसिंह वल्द हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

3 प्रहलादसिंह वल्द हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

4 मांगूसिंह वल्द नोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

5 बलदेवसिंह वल्द समेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

6 दलीपसिंह वल्द सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

7 विरेन्द्रसिंह वल्द प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

8 करणसिंह वल्द ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

9 नरपतसिंह वल्द करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

10 अर्जूनसिंह वल्द करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

11 महेन्द्रसिंह वल्द करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

12 रूपसिंह वल्द करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

13 जमनसिंह वल्द करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

14 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर चूरू राजस्थान

Signature Not Verified

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत बाबत चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:59 IST
Reason: Content Attested

लगातार.... 2पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

उपस्थित –
1 श्री मोहम्मद शाहिद वकील वास्ते वादीगण
2 श्री अरविन्द चौधरी प्रतिवादी
3 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 29–7–2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रोही रोही ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 38 बीघा 07 बिश्वा, खसरा नम्बर 304 रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 4 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 804/290 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 806/389 रकबा 21–00 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 83 बीघा 15 बिश्वा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है। वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण की पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणी जिसमें 6 कमरे, दो पानी के कुण्ड वादीगण के पिता/पति स्व. भंवरसिंह के वक्त के बने हूए है। वादीगण ने अपने उक्त खसरा भूमि में ट्यूबवैल बना रखा है जिसमें वादीनी श्रीमती गीता कंवर के नाम से विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन अपनी पुख्ता रिहायसी मकान में लिया हुआ है। वादगत खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा कटाणी मार्ग ग्राम ढ़ढ़ेरू से घाबरिया के उतरादी तरफ स्थित है, उक्त कटाणी मार्ग खसरे के दिखणादी सींव के पूर्वी सीव से पश्चिमी सींव तक लगता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8 आठ बीघा 12 बारह बिश्वा में वादीगण की ढ़ाणी मकानात के आथुणी उतरादी तरफ ट्यूबवैल बनाया हुआ है तथा ट्यूबवैल के पास ही विधुत ट्रान्सफारमर लगा हुआ है। वादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी काफी अर्सा से काश्त की जाती है तथा वादीगण स्वयं और उनके वारिसान के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3 लगायत 14 ने नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वादीगण की उक्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा में नाजायज प्रवेश कर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशीश में लगे हूए है। प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3 लगायत 14 को इस प्रकार वादीगण को उक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि से जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3 लगायत 14 को कानूनन चिर निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया है। वादगत कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी एवं राजस्व रेकार्ड में खातेदारी एवं वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का साधिकार पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग एवं सम्पति से सम्बन्धित अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से तथा प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3 लगायत 14 द्वारा किये जाने वाले गैर कानूनी कार्य के कारण वादीगण को वादाधार प्राप्त है। दिनांक 23.3.2016 को वादीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 304 में अपना अपना कार्य कर रहे थे तभी उक्त प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3 लगायत 14 वादगत खेत के सामने के मार्ग पर एकराय होकर आये [illegible] धमकीया दी की वादगत खेत खसरा नम्बर 304 तथा इसमें निर्मित मकानात आदि आ[illegible] कब्जा करेगे। तुम लोगो से जो होता है वो कर लेना। उक्त प्रतिवादीगण [illegible] नाजायज, गैर कानूनी और विधि विरूद्ध कृत्य में सफल नहीं हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तो तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 की और से श्री अरविन्द चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण 7 ता 15 की रजिस्ट्रर्ड डाक से विधिवत तामील दिनांक 6/9/2016 से 29/8/2019 तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादी 7 ता 13 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। संशोधित वाद शिर्षक प्रस्तुत। दिनांक 15/10/2019 को प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता की और से पैरवी की हिदायत नहीं होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी सख्या 14 एवं 15 का जवाब आ चुका है। चुंकि वाद में किसी भी प्रतिवादी द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी नहीं की गई है इसलिए तनकीयात बरामद करने की आवश्यकता नहीं हुई। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादीया गीता कंवर, रामूसिंह, हेमन्तसिंह के सशपथ बयान प्रस्तुत किये व बतौर साक्ष्य वादगत खेत की जमाबन्दी प्रदर्श –1, नक्शा एक्स प्रदर्श–2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये।

सम्पूर्ण रेकार्ड एवं पत्रावली व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यान पूर्वक अवलोकन व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श –1 ता प्रदर्श –2 से यह स्थिति प्रकट होती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8–12 बीघा के खातेदारी मालिकाना एवं काबिजाना अधिकारों प्रतिवादीगण द्वाररा किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई है अतः विवादित खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8–12 बीघा सम्पूर्ण एवं उसमें निर्मित मकानात पर कब्जा दखल वादीगण का साबित है। प्रतिवादीगण सख्या 1/1 लगायत 13 को वादगत खेत एवं इस खसरे में निर्मित मकानात पर कब्जा दखल नहीं करने बाबत पाबन्द किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तिम डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद इस प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कि प्रतिवादी सख्या 1/1 लगायत 13 वादीगण के खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 8–12 बीघा सम्पूर्ण एवं उसके किसी भाग अंश में व उसमें निर्मित मकानात, ढ़ाणी आदि में प्रवेश नहीं करे ना ही उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने की कोशीश करें, वादीगण को बेदखल नहीं करे, ना ही वादगत भूमि पर कब्जा करें, ना ही किसी से नाजायज कब्जा करवाये, वादगत भूमि की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन–परिवर्धन कराने की कोशीश नहीं करे, ना ही वादीगण को प्रवेश करने, उपयोग उपभोग करने में, काश्त करने में बाधा उत्पन्न करें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। अन्तिम डिकी की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner